



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं शासन सचिव
कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

क्रमांक: एफ36()आ.उ./आर.एफ./कम्प्यूटराईजेशन/2017

दिनांक 11.10.2017

आदेश

उद्योग विभाग द्वारा दिनांक 16.10.2017 से भागीदारी फर्मों के नये पंजीयन व उनमें विधान एवं अन्य परिवर्तन करने संबंधी समस्त कार्यों को विभागीय पोर्टल <http://industries.rajasthan.gov.in/content/industries/doi/ROF.html> पर उपलब्ध Web Application के माध्यम से निम्नानुसार पूर्णतया ONLINE ही किया जाएगा –

1. विभाग के जिला कार्यालय जिला उद्योग केन्द्रों में भागीदारी फर्मों के नये पंजीयन व उनमें विधान एवं अन्य परिवर्तन करने संबंधी कार्यों हेतु डाक अथवा पत्र वाहक के साथ (ऑफलाइन) कार्यालय में दिनांक 15.10.2017 तक ही स्वीकार्य होंगे।
2. दिनांक 16.10.2017 से भागीदारी फर्मों के नये पंजीयन व उनमें विधान एवं अन्य परिवर्तन करने संबंधी सभी आवेदन <http://industries.rajasthan.gov.in/content/industries/doi/ROF.html> पर उपलब्ध Web Application पर ONLINE ही स्वीकार किए जायेंगे।


(कुंजी लाल मीना)
आयुक्त, उद्योग

क्रमांक: एफ36()आ.उ./आर.एफ./कम्प्यूटराईजेशन/2017

दिनांक 11.10.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उद्योग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, एमएसएमई, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, जिला उद्योग केन्द्र, समस्त।
4. रक्षित पत्रावली।


आयुक्त, उद्योग